


परिशिष्ट

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-3529 तारांकित

क्रमांक	जिला का नाम	विगत तीन वर्षों में स्वीकृत नलजल योजनाएं	विगत तीन वर्षों में स्वीकृत नलजल/हैण्डपंप योजनाएं	विगत तीन वर्षों में बिना विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाएं		नलजल योजनाएं/हैण्डपंप योजना हेतु नवीनीकरण के प्रावधान संचालित	रिमांक
				नलजल योजनाएं	हैण्डपंप योजनाएं		
1	सागर	7	916	5	6	7	8
1	सागर	7	916	-	108	विगत वर्षों में संचालित नलजल/हैण्डपंप योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य कराकर नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जर्जर हैण्डपंपों के कल पुर्जे बदलना, भरे-पटे नलकूपों की सफाई एवं टूटे-फूटे प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कर नवीनीकरण का प्रावधान है। इसी प्रकार बंद नलजल योजनाओं के सुधार कार्य एवं जीर्णोद्धार हेतु प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को रूपये 20.00 लाख के स्वीकृति के अधिकार सौंपे गये हैं।	


 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, भोपाल


 अनुभाग अधिकारी
 विधान सभा प्रकोष्ठ
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

5-
 कार्यपालन यंत्री
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 खण्ड सागर